न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/79

गोपीराम पुत्र चानणराम जाति मेघवंशी साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। --अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0 1

बनाम

1. गुड्डी देवी पत्नी बुधराम जाति मेघवाल साकिन नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कलावती पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी नोहर जिला हनुमागनढ।

–रेस्पोडेण्ट/वादीगण

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा नोहर जिला हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबंधक हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया।
5. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भूकरका तहसील नोहर जरिये शाखा प्रबन्धक।

-- रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रकरण सं0 280/2017 अनवान गुड्डी देवी बनाम गोपीराम आदि

उपस्थितिः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हवा सिंह पूनियॉ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2

अशोक कुमार

26/10/23

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 26/10/23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि प्रश्नगत रोही मौजा चक 4 बीबीके तहसील नोहर की 4.7570 है0 भूमि वादीयागण बहिब 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि का काफी अर्सा पहले बाहमी बंटवारा हो गया था जिसमें पक्षकार अपने अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है इसलिए वादीयागण का खाता अलग कायम किया जावे। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादीया डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपीलाण्ट ने अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विभाजन प्रस्ताव पर उसके द्वारा की गई आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अपील पेश होने पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 12.10.2023 को राजीनामा पेश किया एवं कथन किया कि राजीनामा की मद सं0 3 में वर्णित भूमि मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु पूर्णतः सहमत हैं। अतः राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित किया जावे।

3. राजीनामा तस्दीक किया गया, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने खाता विभाजन एवं अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया था। अपीलाण्ट ने अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विभाजन प्रस्ताव पर उसके द्वारा की गई आपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं । अब चूंकि उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से दिनांक 12.10.2023 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट मुताबिक

(signature)
26/10/23

Scanned with OKEN Scanner

राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी ~~भादरा~~ नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्षों को सुनकर राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करे। राजीनामा की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक कुमार
26/10/23

(अशोक कुमार मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner